AXIS BANK

एक्सिस बैंक न्यूनतम केवाईसी कार्ड को नियंत्रित करने वाले नियम एवं शर्तें

कृपया अपने एक्सिस बैंक न्यूनतम केवाईसी कार्ड का उपयोग करने से पूर्व इन नियमों एवं शर्तों को ध्यानपूर्वक पढ़ें।

न्यूनतम केवाईसी कार्ड का उपयोग करके आप यहाँ उल्लिखित नियमों एवं शर्तों से बाध्य होने की स्पष्ट स्वीकृति और सहमति प्रदान करते हैं। आप यह भी सुनिश्चित करने का दायित्व स्वीकार करते हैं कि भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) द्वारा जारी सभी लागू नियमों, विनियमों एवं दिशानिर्देशों, तथा उनमें समय-समय पर किए गए संशोधनों या परिवर्तनों, और वर्तमान में लागू अथवा समय-समय पर अधिनियमित किए जाने वाले अन्य संबंधित अधिनियमों या वैधानिक आवश्यकताओं का पूर्ण अनुपालन किया जाएगा।

इसके अतिरिक्त, न्यूनतम केवाईसी कार्ड का आपका निरंतर उपयोग, एक्सिस बैंक द्वारा जारी मील कार्ड को नियंत्रित करने वाले प्रचलित नियमों एवं शर्तों की निरंतर स्वीकृति तथा अनुपालन के रूप में माना जाएगा।

इन नियमों एवं शर्तों के संबंध में

1. एकवचन के सभी संदर्भों में बहुवचन सम्मिलित माना जाएगा तथा पुल्लिंग के सभी संदर्भों में स्त्रीलिंग भी सम्मिलित माना जाएगा।
2. धाराओं के शीर्षक केवल सुविधा हेतु दिए गए हैं और संबंधित धारा के अर्थ को प्रभावित नहीं करते हैं।
3. यदि यहाँ उल्लिखित कोई भी प्रावधान किसी सक्षम अधिकार-क्षेत्र वाले न्यायालय द्वारा अवैध, शून्य या अनुपालन-अयोग्य घोषित किया जाता है, तो ऐसे प्रावधान को यहाँ से विलोपित माना जाएगा, तथा शेष नियम एवं शर्तें पूर्ण रूप से प्रभावी एवं प्रवर्तनीय बनी रहेंगी।

परिभाषाएँ

1. 'कार्ड' या 'मील कार्ड' से आशय एक्सिस बैंक द्वारा कार्डधारक को जारी किया गया एक्सिस बैंक वीज़ा/मास्टरकार्ड/रुपे अर्द्ध-बंद लूप घरेलू मील कार्ड है।
2. 'बैंक' से आशय एक्सिस बैंक लिमिटेड तथा उसके उत्तराधिकारी एवं प्रत्यायोजित व्यक्ति हैं।
3. 'कार्डधारक', 'आप', 'आपका', 'उसे' या इसी प्रकार के सर्वनाम, जहाँ संदर्भ अनुमति दे, से आशय उस एक्सिस बैंक ग्राहक से है जिसे एक्सिस बैंक मील कार्ड जारी किया गया है। कार्डधारक के लिए एक लिंग में किए गए सभी संदर्भों में अन्य लिंग भी सम्मिलित माना जाएगा।
4. 'एटीएम' से आशय भारत में स्थित एक्सिस बैंक के स्वचालित टेलर मशीन से है, जहाँ कार्डधारक अपने मील कार्ड का उपयोग शेष राशि पूछताछ, खाता विवरण प्राप्त करने तथा अपने मील कार्ड के लिए पिन परिवर्तन संबंधी लेनदेन हेतु कर सकता है।
5. 'पिन' से आशय उस व्यक्तिगत पहचान संख्या से है (जो एटीएम तक पहुँच हेतु आवश्यक है), जिसे एक्सिस बैंक द्वारा कार्डधारक को आवंटित किया जाता है तथा जिसे वह समय-समय पर चुन सकता है।
6. 'लेनदेन' से आशय किसी भी ऐसे निर्देश से है जो कार्डधारक द्वारा अपने कार्ड का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उपयोग करते हुए एक्सिस बैंक को मील कार्ड पर कार्रवाई प्रभावी करने हेतु दिया जाता है। (लेनदेन के उदाहरणों में खुदरा खरीद, शेष राशि पूछताछ आदि सम्मिलित हैं।)

7. ‘व्यापारी’ या ‘व्यापारी प्रतिष्ठान’ से आशय ऐसे प्रतिष्ठानों से है, जो कहीं भी स्थित हों, और जो कार्ड को स्वीकार या मान्यता देते हों, तथा जिनमें अन्य के साथ-साथ वे दुकानें, स्टोर, रेस्तरां आदि सम्मिलित हैं जिनका विज्ञापन एक्सिस बैंक या वीज़ा कार्ड इंटरनेशनल या भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम या मास्टरकार्ड द्वारा किया गया हो।
8. ‘ईडीसी’ या ‘इलेक्ट्रॉनिक डेटा कैप्चर’ से आशय इलेक्ट्रॉनिक बिक्री केंद्र स्वाइप टर्मिनल से है, चाहे वह एक्सिस बैंक का हो या साझा नेटवर्क पर किसी अन्य बैंक का, जो व्यापारी प्रतिष्ठानों से की गई खरीद संबंधी लेनदेन हेतु कार्ड खाते से राशि डेबिट करने की अनुमति देता है।
9. ‘वीज़ा कार्ड’ से आशय उस व्यापार चिह्न से है जो वीज़ा कार्ड के स्वामित्व में है और सामान्यतः उससे संबद्ध है।
10. ‘रुपे’ से आशय भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम के स्वामित्व वाले व्यापार चिह्न से है।
11. ‘मास्टरकार्ड’ से आशय मास्टरकार्ड के स्वामित्व वाले व्यापार चिह्न से है।
12. ‘नियोक्ता’ से आशय उस संगठन से है जिसमें कार्डधारक कार्यरत है।

मील कार्ड (‘कार्ड’) एक्सिस बैंक लिमिटेड (‘एक्सिस बैंक लिमिटेड’) द्वारा, जिसका पंजीकृत कार्यालय ‘त्रिशूल, समर्थेश्वर मंदिर के सामने, लॉ गार्डन, एलिस ब्रिज, अहमदाबाद – 380006, गुजरात, भारत’ में स्थित है, निम्नलिखित नियमों एवं शर्तों पर जारी किया जाता है:

प्रयोज्यता

कार्ड के लिए आवेदन करने, कार्ड आवेदन पत्र प्रस्तुत करने, अथवा एक्सिस बैंक द्वारा समय-समय पर निर्धारित रूप एवं विधि के अनुसार कार्ड का उपयोग या स्वीकार करने पर, कार्डधारक को इन नियमों एवं शर्तों को समझने तथा बिना किसी शर्त के स्वीकार करने वाला माना जाएगा। कार्डधारक को यह भी माना जाएगा कि उसने इन नियमों एवं शर्तों को पढ़ लिया है, समझ लिया है और उन्हें बिना शर्त स्वीकार कर लिया है। यह स्वीकृति लिखित रूप में कार्ड की प्राप्ति की पुष्टि करने, कार्ड के पीछे हस्ताक्षर करने, या कार्ड का उपयोग करके कोई भी लेनदेन करने पर भी मानी जाएगी।

कार्डधारक सभी लागू कानूनों एवं विनियमों, जिनमें भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) द्वारा जारी विनियम, विनिमय नियंत्रण संबंधी विनियम, तथा लागू अधिनियमों के अंतर्गत बनाए गए नियम, और उनमें समय-समय पर किए गए संशोधन सम्मिलित हैं, से बाध्य होने के लिए सहमत है। इसके अतिरिक्त, कार्डधारक कार्ड के संचालन एवं उपयोग को नियंत्रित करने वाले एक्सिस बैंक के नियमों एवं शर्तों से भी बाध्य रहेगा।

कार्ड की वैधता एवं कार्डधारक के दायित्व

1. यह कार्ड केवल उन व्यापारी प्रतिष्ठानों पर स्थित वीज़ा/मास्टरकार्ड/रुपे सक्षम इलेक्ट्रॉनिक बिक्री केंद्र (पीओएस) टर्मिनलों पर मान्य होगा, जो तैयार खाद्य पदार्थ, भोजन एवं पेय पदार्थों की बिक्री करते हैं।
2. कार्ड सदैव एक्सिस बैंक की एकमात्र संपत्ति रहेगा। कार्डधारक अनुरोध किए जाने पर कार्ड को तत्काल और बिना किसी शर्त के एक्सिस बैंक को वापस करने के लिए सहमत है। कार्ड समर्पित करने से पूर्व, कार्डधारक को कार्ड की वापसी का अनुरोध करने वाले एक्सिस बैंक के अधिकृत प्रतिनिधि या अधिकारी की पहचान सत्यापित करनी होगी।
3. न्यूनतम केवाईसी कार्ड किसी भी परिस्थिति में कार्डधारक द्वारा हस्तांतरणीय या प्रत्यायोज्य नहीं है।
4. कार्ड प्राप्त होते ही उस पर तत्काल हस्ताक्षर करना अनिवार्य है। आप किसी अन्य व्यक्ति को इसका उपयोग करने की अनुमति नहीं देंगे तथा कार्ड को सदैव अपने व्यक्तिगत नियंत्रण में रखकर दुरुपयोग से सुरक्षित रखेंगे।

5. कार्डधारक ग्राहक पोर्टल के माध्यम से पिन संख्या उत्पन्न कर सकता है। इसके लिए https://prepaid-customer.axis.bank.in/customerportal पर जाएँ > यहाँ पंजीकरण करें > कार्ड संख्या/पैकेट संदर्भ संख्या, समाप्ति विवरण एवं मोबाइल संख्या दर्ज करें > उपयोगकर्ता नाम एवं पासवर्ड निर्धारित करें > लॉगिन करें > ग्रीन पिन चुनें > नया 4 अंकों का पिन दर्ज करें > एकबारगी पासवर्ड दर्ज करें। यही प्रक्रिया डुप्लीकेट पिन उत्पन्न करने हेतु भी लागू होगी।
6. कार्ड का उपयोग करके किए गए किसी भी लेनदेन की राशि तत्काल कार्ड से डेबिट कर दी जाएगी। कार्डधारक यह सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी होगा कि ऐसे सभी लेनदेन को कवर करने हेतु मील कार्ड में पर्याप्त शेष राशि उपलब्ध हो।
7. किसी भी परिस्थिति में कार्डधारक को न्यूनतम केवाईसी कार्ड में उपलब्ध शेष राशि से अधिक निकासी करने की अनुमति नहीं होगी।
8. कार्डधारक कार्ड के माध्यम से किए गए सभी लेनदेन के लिए उत्तरदायी होगा तथा भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों या भारत में लागू किसी भी विधि के उल्लंघन से उत्पन्न किसी भी हानि, क्षति या दंडात्मक कार्रवाई के विरुद्ध, इस समझौते की समाप्ति के बावजूद, एक्सिस बैंक को क्षतिपूर्ति प्रदान करेगा।
9. कृपया ध्यान दें कि मील कार्ड उस माह और वर्ष के अंतिम दिन तक मान्य है, जो कार्ड पर अंकित है। समाप्ति के पश्चात नवीनीकरण के लिए आपको अपने नियोक्ता के माध्यम से आवेदन करना होगा अथवा prepaidcard.support@axis.bank.in पर ईमेल भेजना होगा।
10. अंतिम लेनदेन की तिथि से 10 वर्षों की अवधि तक अप्रयुक्त या न निकाली गई शेष राशि को जमाकर्ता शिक्षा एवं जागरूकता निधि में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। प्रीपेड भुगतान खाते में उपलब्ध शेष राशि की जब्ती से पूर्व बैंक ग्राहक को 45 दिन पूर्व अग्रिम सूचना, सेवा उपयोग हेतु प्रदान किए गए मोबाइल नंबर पर संदेश के माध्यम से और/या पंजीकृत ईमेल पते पर ईमेल के माध्यम से भेजेगा।
11. यदि भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी निर्देश के अनुसार योजना को समाप्त या बंद किया जाता है, तो कार्डधारक प्रीपेड भुगतान खाते में उपलब्ध बकाया शेष राशि को भुनाने का अधिकार रखेगा।
12. किसी भी परिस्थिति में कार्डधारक को कार्ड से नकद निकासी करने या धन अंतरण प्रारंभ करने की अनुमति नहीं होगी।
13. कार्डधारक द्वारा अपने पिन के प्रकटीकरण के परिणामस्वरूप किसी भी तृतीय पक्ष द्वारा किए गए कार्यों के लिए बैंक किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगा।

कार्ड शेष राशि एवं समाप्ति

1. कार्ड निर्गमन की तिथि से अधिकतम पाँच वर्ष की अवधि तक वैध रहेगा और कार्ड पर अंकित समाप्ति तिथि वाले माह के अंतिम दिन तक प्रभावी रहेगा।
2. समाप्ति तिथि के अनुसार कार्ड पर शेष कोई भी बकाया राशि, बैंक द्वारा जारी किए गए तथा कार्डधारक द्वारा क्रय किए गए नए समान भुगतान साधन में स्थानांतरित की जा सकती है।
3. किसी भी समय आपके कार्ड में अधिकतम बकाया शेष राशि ₹60,000 से अधिक नहीं हो सकती।

व्यापारी प्रतिष्ठान पर उपयोग

1. यह कार्ड भारत में स्थित उन सभी इलेक्ट्रॉनिक बिक्री केंद्र (पीओएस) टर्मिनलों पर स्वीकार्य है, जो तैयार खाद्य पदार्थों एवं पेय पदार्थों की बिक्री करने वाले व्यापारी प्रतिष्ठानों पर वीज़ा/मास्टरकार्ड/रुपे का चिन्ह प्रदर्शित करते हैं।
2. जारी किया गया कार्ड केवल इलेक्ट्रॉनिक उपयोग हेतु है और यह केवल उन व्यापारी प्रतिष्ठानों पर मान्य है जो इलेक्ट्रॉनिक बिक्री केंद्र (पीओएस) स्वाइप टर्मिनल से सुसज्जित हैं। गैर-इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों, जिसमें मैनुअल या ऑफलाइन प्रसंस्करण शामिल है, के माध्यम से कार्ड का उपयोग करने का कोई भी प्रयास अनधिकृत माना जाएगा। ऐसे अनधिकृत उपयोग से

उत्पन्न किसी भी परिणाम, जिसमें वित्तीय दायित्व एवं संभावित दुरुपयोग शामिल हैं, के लिए कार्डधारक पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगा।

3. जब भी व्यापारी प्रतिष्ठान पर कार्ड का उपयोग किया जाए, आपको प्रभार पर्ची पर हस्ताक्षर करना होगा तथा उसकी प्रति अपने पास सुरक्षित रखनी होगी। कोई भी प्रभार पर्ची जिस पर आपके व्यक्तिगत हस्ताक्षर न हों, परंतु जिसे आपके द्वारा अधिकृत सिद्ध किया जा सके, आपकी देयता मानी जाएगी।
4. न्यूनतम केवाईसी कार्ड भारत में तैयार खाद्य पदार्थों एवं पेय पदार्थों की बिक्री करने वाले किसी भी वीज़ा/मास्टरकार्ड/रुपे व्यापारी प्रतिष्ठान पर स्वीकार्य है। व्यापारी द्वारा आपके साथ किए गए किसी भी व्यवहार, जिसमें वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति या प्रस्ताव सम्मिलित हैं, के लिए एक्सिस बैंक कोई उत्तरदायित्व स्वीकार नहीं करेगा। यदि आपको किसी वीज़ा/मास्टरकार्ड/रुपे व्यापारी प्रतिष्ठान से संबंधित कोई शिकायत हो, तो उसका समाधान आपको सीधे उस व्यापारी प्रतिष्ठान के साथ करना होगा, और ऐसा न करने से एक्सिस बैंक के प्रति आपकी कोई भी बाध्यता समाप्त नहीं होगी।
5. वास्तविक लेनदेन मूल्य या लागत से अतिरिक्त व्यापारी प्रतिष्ठानों द्वारा लगाए गए किसी भी अतिरिक्त शुल्क के लिए एक्सिस बैंक उत्तरदायी नहीं होगा। ऐसे शुल्क, यदि कोई हों, लेनदेन राशि के साथ कार्डधारक के खाते से डेबिट किए जाएंगे, और उनके लिए कार्डधारक पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगा।
6. कोई खरीद और उसके पश्चात की गई रद्दीकरण, जिसके परिणामस्वरूप धनवापसी होती है, दो पृथक लेनदेन माने जाएंगे। देय धनवापसी राशि (लागू रद्दीकरण शुल्क घटाकर) व्यापारी से प्राप्त होने पर ही आपके कार्ड खाते में जमा की जाएगी। यदि धनवापसी की तिथि से 30 दिनों के भीतर राशि आपके कार्ड खाते में प्रदर्शित नहीं होती है, तो आपको एक्सिस बैंक को सूचित करना होगा तथा व्यापारी द्वारा जारी क्रेडिट नोट की प्रति उपलब्ध करानी होगी।
7. कार्ड का उपयोग केवल अनुमत व्यापारी श्रेणी कोड पर ही किया जाएगा। अन्य किसी भी व्यापारी श्रेणी पर, जिसमें गैर-खाद्य एवं गैर-पेय प्रतिष्ठान शामिल हैं, किए गए लेनदेन प्रयास अस्वीकृत कर दिए जाएंगे।

एटीएम उपयोग

1. कार्ड का उपयोग करके एक्सिस बैंक के एटीएम या किसी अन्य एटीएम पर नकद निकासी या नकद जमा की अनुमति नहीं है।
2. शेष राशि पूछताछ, लघु विवरण प्राप्त करना तथा पिन परिवर्तन की सुविधा आपके एक्सिस बैंक मील कार्ड पर केवल एक्सिस बैंक के एटीएम पर ही उपलब्ध है।

कार्ड निष्क्रियता

1. यदि लगातार एक वर्ष की अवधि तक कोई वित्तीय लेनदेन नहीं किया जाता है, तो बैंक द्वारा कार्ड को निष्क्रिय कर दिया जाएगा तथा इसकी सूचना कार्डधारक को दी जाएगी।
2. कार्ड को पुनः सक्रिय केवल बैंक शाखाओं में अथवा नामित व्यापार प्रतिनिधियों के माध्यम से बैंक द्वारा ग्राहक सत्यापन के उपरांत ही किया जा सकेगा।
3. ऐसे कार्डों की सूचना भारतीय रिज़र्व बैंक को उनके निर्देशों के अनुसार दी जाएगी।

डिजिटल चैनलों के उपयोग हेतु जोखिम, जिम्मेदारी और देयता एवं शुल्क

एक्सिस बैंक अपने डिजिटल चैनलों का उपयोग करने या उन तक पहुंच प्राप्त करने के लिए कोई शुल्क या फीस नहीं लेता है। बैंक द्वारा प्रदान किए गए किसी भी डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से सेवाओं का उपयोग करके, ग्राहक निम्नलिखित जोखिम, जिम्मेदारी और देयता से संबंधित शर्तों को स्वीकार करता है और उनसे सहमत होता है।

ग्राहक की जिम्मेदारी:

ग्राहक अपने लॉगिन क्रेडेंशियल्स, पंजीकृत मोबाइल नंबर, डिवाइस और इंटरनेट कनेक्टिविटी की गोपनीयता और सुरक्षित उपयोग बनाए रखने के लिए जिम्मेदार होगा। ग्राहक की लापरवाही, असावधानी या इस जानकारी की सुरक्षा में विफलता के कारण होने वाली किसी भी अनधिकृत पहुंच या दुरुपयोग की जिम्मेदारी ग्राहक की होगी।

सुरक्षा एवं धोखाधड़ी जोखिम:

यदि ग्राहक बैंक के निर्देशों या सलाह के विपरीत अपने क्रेडेंशियल्स, ओटीपी, पिन, पासवर्ड या अन्य गोपनीय जानकारी साझा करता है या उजागर करता है, जिसके कारण फ़िशिंग, विशिंग, मालवेयर हमलों, डिवाइस के समझौते या तृतीय-पक्ष धोखाधड़ी से नुकसान होता है, तो ऐसे नुकसान के लिए बैंक जिम्मेदार नहीं होगा।

ग्राहक की देयता:

ग्राहक अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर, डिवाइस, लॉगिन क्रेडेंशियल्स, पिन, पासवर्ड और ओटीपी की सुरक्षा के लिए पूर्णतः जिम्मेदार होगा। ऐसी जानकारी के साझा करने या उससे समझौता होने के कारण होने वाले किसी भी अनधिकृत लेनदेन की पूरी जिम्मेदारी ग्राहक की होगी।

प्रश्न एवं शिकायत निवारण

1. कार्डधारक लेनदेन, शेष राशि अथवा कार्ड सेवाओं से संबंधित प्रश्न या शिकायतें ग्राहक सेवा, ईमेल अथवा आधिकारिक शिकायत पोर्टल के माध्यम से दर्ज कर सकते हैं।
2. सभी शिकायतों की प्राप्ति की पुष्टि 24 घंटों के भीतर की जाएगी तथा उनका समाधान 7 कार्य दिवसों के भीतर (या लागू नियामकीय समय-सीमा के अनुसार) किया जाएगा।
3. अनसुलझी शिकायतों के लिए उच्चस्तरीय संदर्भ संरचना तथा शिकायत निवारण अधिकारी उपलब्ध हैं। एस्केलेशन (शिकायत बढ़ाने) से संबंधित जानकारी के लिए, एक्सिस बैंक की वेबसाइट (www.axis.bank.in) पर जाएं और बैंक की शिकायत निवारण नीति देखें: https://www.axis.bank.in/docs/default-source/default-document-library/grievance-redressal/grievance-redressal-policy.pdf.
4. किसी भी प्रश्न या शिकायत के संबंध में आप 022-67987700 पर हमारी फोन बैंकिंग टीम से संपर्क कर सकते हैं।
5. आप हमें prepaidcard.support@axis.bank.in पर भी लिख सकते हैं।

वित्तीय लेनदेन

कार्ड पर अधिकतम लोडिंग/बकाया राशि (प्रीपेड भुगतान साधनों पर समय-समय पर संशोधित प्रचलित मास्टर निर्देशों में परिभाषित नियामकीय सीमा के अंतर्गत) निम्नानुसार है:

न्यूनतम केवाईसी+ (नकद लोडिंग निष्क्रिय छोटे प्रीपेड भुगतान साधन) कार्डधारक केवल डिजिटल माध्यमों के द्वारा प्रति माह अधिकतम ₹5,000 तक लोड कर सकता है। इस केवाईसी प्रकार के लिए नकद लोडिंग की अनुमति नहीं है। किसी भी समय बकाया राशि ₹5,000 से अधिक नहीं होगी।

गैर-वित्तीय लेनदेन

कार्ड का उपयोग निम्नलिखित गैर-वित्तीय गतिविधियों के लिए भी किया जा सकता है:

1. पिन निर्धारण: (एक्सिस बैंक एटीएम तथा ग्राहक पोर्टल पर)
   एक्सिस बैंक एटीएम: एक्सिस बैंक एटीएम में एक्सिस बैंक मील कार्ड डालें > अन्य लेनदेन > पिन निर्धारित करें > एकबारगी पासवर्ड उत्पन्न करें > जन्म तिथि (YYYYMMDD प्रारूप में) तथा कार्ड की समाप्ति तिथि दर्ज करें > पंजीकृत मोबाइल संख्या दर्ज करें > 4 अंकों का एकबारगी पासवर्ड दर्ज करें।
   ग्राहक पोर्टल: https://www.axis.bank.in > लॉगिन > कार्ड > प्रीपेड कार्ड > पंजीकरण > कार्ड संख्या/पैक संदर्भ समाप्ति विवरण तथा मोबाइल संख्या दर्ज करें > उपयोगकर्ता नाम एवं पासवर्ड निर्धारित करें > लॉगिन > ग्रीन पिन > नया 4 अंकों का पिन दर्ज करें > एकबारगी पासवर्ड दर्ज करें।

2. शेष राशि पूछताछ (एक्सिस बैंक एटीएम तथा ग्राहक पोर्टल पर)
   एक्सिस बैंक एटीएम: एक्सिस बैंक एटीएम में एक्सिस बैंक मील कार्ड डालें > कार्ड शेष राशि > पिन दर्ज करें > शेष राशि रसीद पर प्रदर्शित होगी।
   ग्राहक पोर्टल: https://www.axis.bank.in > लॉगिन > कार्ड > प्रीपेड कार्ड > उपयोगकर्ता नाम > पासवर्ड > कार्ड शेष राशि।

3. कार्ड अवरोधन (ग्राहक पोर्टल तथा फोन बैंकिंग के माध्यम से)
   ग्राहक पोर्टल: https://www.axis.bank.in > लॉगिन > कार्ड > प्रीपेड कार्ड > उपयोगकर्ता नाम > पासवर्ड > कार्ड लॉक।

4. कार्ड विवरण (ग्राहक पोर्टल)
   ग्राहक पोर्टल: https://www.axis.bank.in > लॉगिन > कार्ड > प्रीपेड कार्ड > उपयोगकर्ता नाम > पासवर्ड > कार्ड विवरण।

कार्ड सुरक्षा

कार्डधारकों को निम्नलिखित का पालन करने की सलाह दी जाती है:

1. अपने कार्ड, पिन तथा अभिगम प्रमाणों को सदैव गोपनीय रखें।
2. कार्ड संबंधी जानकारी फोन, ईमेल या अप्रमाणित पोर्टलों के माध्यम से साझा करने से बचें।
3. लापरवाही या दुरुपयोग के कारण हुई किसी भी हानि के लिए, यदि उसकी सूचना तत्काल नहीं दी जाती है, तो बैंक उत्तरदायी नहीं होगा।
4. कार्ड के खो जाने या चोरी होने की स्थिति में, कार्डधारक को ग्राहक सहायता या ग्राहक पोर्टल के माध्यम से तुरंत कार्ड अवरोधित करना अनिवार्य है।

भुगतान अस्वीकार करने का अधिकार

बैंक किसी भी लेनदेन को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

1. जब कार्ड के दुरुपयोग, संदिग्ध गतिविधि या नियामकीय उल्लंघन की आशंका हो।
2. समाप्त, अवरोधित या निष्क्रिय कार्ड के मामलों में।

शुल्क

1. एक्सिस बैंक अपने विवेकाधिकार से किसी भी समय, कार्डधारक को पूर्व सूचना दिए बिना, शुल्क लगाने का अधिकार सुरक्षित रखता है। ऐसे लगाए गए शुल्क, यदि लागू किए जाते हैं, तो बैंक द्वारा निर्धारित प्रचलित दरों पर, कार्ड की स्वीकृति या नवीनीकरण के समय कार्डधारक के खाते से डेबिट किए जाएंगे। ये शुल्क अप्रतिदेय होंगे। अतिरिक्त सेवाओं के लिए शुल्क भी लागू प्रचलित दरों पर लगाए जाएंगे।
2. कार्ड का उपयोग किसी भी अवैध लेनदेन के लिए नहीं किया जा सकता, जिसमें भारतीय रिज़र्व बैंक या आयकर विभाग द्वारा निषिद्ध वस्तुओं या सेवाओं की खरीद शामिल है, जैसा कि लागू कानूनों एवं विनियमों के अनुसार निर्धारित है।
3. शेष राशि पूछताछ के लिए तथा जहाँ भी लागू हो, लेनदेन शुल्क शेष राशि पूछताछ के प्रविष्ट होने के समय या जहाँ लागू हो, कार्ड खाते से डेबिट किया जाएगा।
4. न्यूनतम केवाईसी कार्ड के उपयोग पर लागू शुल्क समय-समय पर एक्सिस बैंक द्वारा, कार्डधारक को पूर्व सूचना दिए बिना, संशोधित या परिवर्तित किए जा सकते हैं।
5. एक्सिस बैंक, प्रथम पुनर्भरण के समय अथवा समय-समय पर, लागू होने पर, लोडिंग शुल्क, वार्षिक शुल्क, नवीनीकरण शुल्क तथा अन्य सेवा शुल्क कार्ड से डेबिट करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
6. कार्ड पर उपलब्ध या लोड की गई राशि पर बैंक द्वारा कोई ब्याज देय नहीं होगा।

शुल्क अनुसूची

शुल्क विवरण	मील कार्ड
वैधता	5 वर्ष
नकद निकासी	नहीं
निर्गमन शुल्क	₹ 100
वार्षिक शुल्क	₹ 100
लोडिंग शुल्क	₹ 10
कार्ड प्रतिस्थापन	₹ 100
विमोचन शुल्क	लागू नहीं
एटीएम नकद निकासी शुल्क – स्वयं बैंक	लागू नहीं

भौतिक पिन शुल्क	₹ 50
एटीएम नकद निकासी शुल्क – अन्य बैंक – प्रति माह पाँच लेनदेन निःशुल्क	लागू नहीं
गैर-वित्तीय लेनदेन – स्वयं बैंक – शेष राशि पूछताछ, लघु विवरण, पिन पुनर्निर्धारण	शून्य
गैर-वित्तीय लेनदेन – अन्य बैंक – शेष राशि पूछताछ, लघु विवरण, पिन पुनर्निर्धारण – प्रति माह पाँच लेनदेन निःशुल्क	₹ 10

उपर्युक्त सभी राशियाँ वस्तु एवं सेवा कर से पृथक हैं।

न्यूनतम केवाईसी कार्ड की विशेषताएँ

बैंक समय-समय पर अपने विवेकाधिकार से आपके मील कार्ड पर विभिन्न सुविधाएँ प्रदान करने हेतु विभिन्न संस्थाओं के साथ समझौता कर सकता है। ये सभी सुविधाएँ केवल सर्वोत्तम प्रयास के आधार पर प्रदान की जाएँगी, तथा बैंक किसी भी सेवा प्रदाता/व्यापारी/प्रतिष्ठान/संस्था द्वारा प्रदान किए गए किसी भी उत्पाद या सेवा की प्रभावशीलता, कार्यकुशलता या उपयोगिता के संबंध में कोई गारंटी या आश्वासन नहीं देता है। किसी भी विवाद की स्थिति में उसका निपटान सीधे संबंधित व्यापारी/संस्था आदि के साथ किया जाएगा और इसमें बैंक को सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

सूचना का प्रकटीकरण

1. एक्सिस बैंक द्वारा अनुरोध किए जाने पर, आप ऐसे किसी भी विषय से संबंधित सूचना, अभिलेख या प्रमाणपत्र प्रदान करेंगे, जिन्हें एक्सिस बैंक आवश्यक समझता है। आप एक्सिस बैंक को प्रस्तुत की गई सूचना की सत्यता की जाँच आवश्यक समझे गए किसी भी माध्यम या स्रोत से करने के लिए अधिकृत भी करेंगे। यदि आवश्यक जानकारी प्रदान नहीं की जाती है या गलत पाई जाती है, तो एक्सिस बैंक अपने विवेकाधिकार से कार्ड के नवीनीकरण से इंकार कर सकता है या कार्ड को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर सकता है।
2. एक्सिस बैंक सक्षम अधिकार-क्षेत्र वाले किसी भी न्यायालय, अर्द्ध-न्यायिक प्राधिकरण, विधि प्रवर्तन एजेंसियों तथा केंद्र सरकार या राज्य सरकार के किसी अन्य विभाग को ग्राहक की जानकारी प्रकट करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
3. एक्सिस बैंक किसी भी इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण नेटवर्क में अपनी सहभागिता के संबंध में आवश्यक या उपयुक्त समझी जाने वाली कार्ड संबंधी जानकारी को अन्य संस्थाओं के साथ पूर्ण गोपनीयता में साझा करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

खोया हुआ या चोरी हुआ कार्ड

1. न्यूनतम केवाईसी कार्ड के खो जाने या चोरी हो जाने की स्थिति में, एक्सिस बैंक को तत्काल सूचित करना अनिवार्य है। प्रारंभिक सूचना 24 घंटे की आपातकालीन संपर्क संख्या के माध्यम से दी जा सकती है, परंतु इसके पश्चात यथाशीघ्र एक्सिस बैंक को लिखित पुष्टि देना आवश्यक होगा। उचित सत्यापन एवं प्रक्रिया हेतु इस लिखित पुष्टि के साथ पुलिस में दर्ज कराई गई शिकायत की प्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
2. यदि ऐसी हानि की सूचना एक्सिस बैंक को समय पर नहीं दी जाती है, अथवा बैंक को विधिवत सूचित किए जाने से पूर्व कार्ड का दुरुपयोग होता है, तो कार्ड के खोने या दुरुपयोग के परिणामस्वरूप उत्पन्न किसी भी दायित्व (नागरिक या आपराधिक),

हानि, व्यय, लागत या क्षति के संबंध में आप एक्सिस बैंक को पूर्ण क्षतिपूर्ति प्रदान करने तथा उसे उत्तरदायित्व से मुक्त रखने के लिए सहमत हैं।

3. नियमों एवं शर्तों के पूर्ण अनुपालन के अधीन, प्रतिस्थापन कार्ड का निर्गमन पूर्णतः एक्सिस बैंक के विवेकाधिकार पर निर्भर करेगा तथा इस पर लागू शुल्क देय हो सकते हैं।
4. यदि आपको बाद में कार्ड प्राप्त हो जाता है, तो उसका उपयोग नहीं किया जा सकता। कृपया चुंबकीय पट्टी के माध्यम से कार्ड को कई टुकड़ों में काटकर नष्ट कर दें।

विवरण एवं रिकॉर्ड

1. कार्डधारक ग्राहक पोर्टल तथा फोन बैंकिंग सुविधा का उपयोग करके किसी भी समय अपने लेनदेन का विवरण प्राप्त कर सकता है।
2. कार्ड के उपयोग से संसाधित लेनदेन संबंधी एक्सिस बैंक के **रिकॉर्ड** सभी उद्देश्यों के लिए अंतिम एवं बाध्यकारी माने जाएंगे।

विवाद

1. क्रय लेनदेन के मामलों में, कार्डधारक के हस्ताक्षर सहित तथा उस पर अंकित कार्ड संख्या वाली प्रभार पर्ची, कार्डधारक द्वारा वहन की गई देयता की सीमा के संबंध में एक्सिस बैंक और कार्डधारक के मध्य निर्णायक साक्ष्य मानी जाएगी। एक्सिस बैंक को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता नहीं होगी कि कार्डधारक ने क्रय की गई वस्तुएँ प्राप्त की हैं या सेवाएँ उसकी संतुष्टि के अनुसार प्राप्त हुई हैं।
2. खाते के विवरण में प्रदर्शित किसी लागू शुल्क के संबंध में अथवा ग्राहक द्वारा अन्यथा निर्धारित किसी शुल्क के संबंध में असहमति की सूचना प्राप्त होने के दो माह के भीतर, एक्सिस बैंक पीड़ित कार्डधारक की असहमति का समाधान करने के लिए सद्भावना एवं युक्तिसंगत प्रयास करेगा। यदि ऐसे प्रयास के पश्चात एक्सिस बैंक यह निर्धारित करता है कि शुल्क सही है, तो वह इसकी सूचना कार्डधारक को देगा।
3. किसी भी प्रतिष्ठान द्वारा कार्ड को स्वीकार करने से इंकार करने के लिए एक्सिस बैंक कोई उत्तरदायित्व स्वीकार नहीं करता है।
4. बकाया राशि की वसूली से संबंधित सभी लागत, विधिक व्यय (यदि मामले को किसी अभिकर्ता के पास संदर्भित करना आवश्यक हो), अथवा विवाद के समाधान में विधिक संसाधनों के उपयोग से संबंधित सभी व्यय के लिए कार्डधारक उत्तरदायी होगा।

सामान्य

1. आपके रोजगार की स्थिति, कार्यालय का पता, आवासीय पता या संपर्क संख्याओं में किसी भी परिवर्तन की सूचना आपको तत्काल लिखित रूप में एक्सिस बैंक को देना अनिवार्य है।
2. एक्सिस बैंक अपने एकमात्र विवेकाधिकार से तथा कार्डधारक को पूर्व सूचना देकर, न्यूनतम केवाईसी कार्ड से संबंधित किसी भी नियम एवं शर्त, नीति, सुविधा या लाभ में संशोधन, परिवर्तन, जोड़ या विलोपन करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। ऐसे किसी भी परिवर्तन की प्रभावी तिथि के पश्चात मील कार्ड का निरंतर उपयोग, संशोधित नियमों की बिना किसी आरक्षण के स्वीकृति माना जाएगा।
3. डाक द्वारा भेजी गई किसी भी सूचना को, कार्डधारक द्वारा एक्सिस बैंक को लिखित रूप में अंतिम बार प्रदान किए गए पते पर प्रेषण की तिथि से सात (7) दिनों के भीतर कार्डधारक द्वारा प्राप्त माना जाएगा। किसी भी परिवर्तन की सूचना, जिसमें

एक्सिस बैंक द्वारा उपयुक्त समझे गए माध्यमों (जिसमें इलेक्ट्रॉनिक या मुद्रित माध्यम शामिल हैं) से प्रकाशित सूचना भी सम्मिलित है, कार्डधारक को प्रभावी सूचना मानी जाएगी।

4. यदि कार्डधारक ने कार्ड का उपयोग करते हुए उपलब्ध कार्ड शेष राशि या एक्सिस बैंक द्वारा अनुमत अधिविकर्ष सीमा से अधिक राशि आहरित की है, तो कार्डधारक बिना शर्त संपूर्ण अधिविकर्षित राशि तथा उस पर लागू ब्याज एवं दंड (यदि कोई हो), एक्सिस बैंक द्वारा निर्धारित दर पर, अदा करेगा। तथापि, इसे इस रूप में नहीं समझा जाएगा कि एक्सिस बैंक किसी भी प्रकार की अधिविकर्ष सुविधा प्रदान करने के लिए स्पष्ट या परोक्ष रूप से बाध्य है।
5. एक्सिस बैंक तृतीय पक्षों द्वारा कार्डधारकों को प्रदान किए जाने वाले लाभ, जैसे छूट आदि, के अंतर्गत उपलब्ध कराई गई वस्तुओं या सेवाओं की गुणवत्ता के संबंध में कोई अभ्यावेदन नहीं करता है। यदि सेवा किसी भी प्रकार से त्रुटिपूर्ण या असंतोषजनक हो, तो एक्सिस बैंक इसके लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

शिकायतें, अनधिकृत लेनदेन तथा ग्राहक शिकायतें

किसी भी अनधिकृत लेनदेन के लिए बैंक अथवा ग्राहक की देयता निम्नानुसार होगी:

1. ग्राहक की शून्य देयता – निम्न परिस्थितियों में ग्राहक शून्य देयता का अधिकारी होगा:
   (क) बैंक की ओर से योगदानात्मक धोखाधड़ी/लापरवाही/कमी की स्थिति में (चाहे ग्राहक द्वारा लेनदेन की सूचना दी गई हो या नहीं)।
   (ख) तृतीय पक्ष द्वारा उल्लंघन की स्थिति में, जहाँ कमी न तो बैंक की हो और न ही ग्राहक की, बल्कि प्रणाली के किसी अन्य भाग में हो, तथा ग्राहक बैंक से अनधिकृत लेनदेन के संबंध में प्राप्त सूचना के तीन कार्य दिवसों के भीतर बैंक को सूचित कर दे।
2. ग्राहक की सीमित देयता – निम्न परिस्थितियों में अनधिकृत लेनदेन से उत्पन्न हानि के लिए ग्राहक उत्तरदायी होगा:
   (क) यदि हानि ग्राहक की लापरवाही के कारण हुई हो, जैसे भुगतान संबंधी अभिगम प्रमाण साझा करने की स्थिति में, तो ग्राहक बैंक को अनधिकृत लेनदेन की सूचना देने तक संपूर्ण हानि वहन करेगा। अनधिकृत लेनदेन की सूचना दिए जाने के पश्चात होने वाली हानि बैंक द्वारा वहन की जाएगी।
   (ख) यदि अनधिकृत इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग लेनदेन की जिम्मेदारी न तो बैंक की हो और न ही ग्राहक की, बल्कि प्रणाली के किसी अन्य भाग में हो, तथा बैंक से प्राप्त सूचना के चार से सात कार्य दिवसों के भीतर ग्राहक द्वारा बैंक को सूचित करने में विलंब हो, तो प्रति लेनदेन ग्राहक की देयता लेनदेन मूल्य या ₹10,000 में से जो कम हो, तक सीमित होगी।
3. यदि ग्राहक बैंक से अनधिकृत लेनदेन के संबंध में प्राप्त सूचना के सात कार्य दिवसों के पश्चात बैंक को सूचित करता है, तो ग्राहक की देयता बैंक की निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसार निर्धारित की जाएगी। बैंक उक्त नीति के अनुसार इसका मूल्यांकन एवं निर्धारण करेगा। सहायता हेतु www.axis.bank.in/support पर जाएँ।
   उच्चस्तरीय संदर्भ विवरण हेतु एक्सिस बैंक की वेबसाइट (www.axis.bank.in) पर बैंक की शिकायत निवारण नीति देखें। आप 022-67987700 पर हमारी ग्राहक सेवा से भी संपर्क कर सकते हैं।
4. इन नियमों एवं शर्तों के अंतर्गत बैंक द्वारा इलेक्ट्रॉनिक या दस्तावेजी रूप में संधारित आपके निर्देशों तथा अन्य विवरणों (जिसमें किए गए या प्राप्त भुगतानों सहित, परंतु इन्हीं तक सीमित नहीं) को आपके विरुद्ध उन निर्देशों एवं विवरणों का अंतिम एवं बाध्यकारी साक्ष्य माना जाएगा।

5. खाते में किए गए लेनदेन अथवा रिपोर्टिंग के समय से संबंधित किसी भी विवाद या उक्त खाते से संबंधित किसी अन्य विषय की स्थिति में, बैंक विवादित लेनदेन के समय एवं/या प्रामाणिकता का निर्धारण करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। तृतीय पक्ष धोखाधड़ी के कारण या जहाँ आपने धोखाधड़ी में कोई योगदान नहीं दिया हो, आपके कार्ड खाते में अनधिकृत लेनदेन के संबंध में आपकी देयता का निर्धारण "ग्राहक संरक्षण – अनधिकृत इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग लेनदेन में ग्राहकों की सीमित देयता" संबंधी बैंक की निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसार किया जाएगा। समय-समय पर संशोधित विनियमों में किए गए किसी भी परिवर्तन उस समय लागू एवं बाध्यकारी होंगे।

समाप्ति

1. एक्सिस बैंक बिना किसी पूर्व सूचना तथा बिना कोई कारण बताए, किसी भी समय न्यूनतम केवाईसी कार्ड या उससे संबंधित अन्य किसी भी सेवा को रद्द करने अथवा वापस लेने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
2. यदि कार्डधारक न्यूनतम केवाईसी कार्ड सुविधा को समाप्त करने का निर्णय लेता है, तो जारी किया गया कार्ड स्वतः निरस्त माना जाएगा। कार्डधारक को तुरंत कार्ड का उपयोग बंद करना होगा तथा कार्ड को नष्ट कर बैंक को वापस करना होगा। यदि कोई कार्ड लेनदेन लंबित है जिसे अभी तक कार्ड खाते से डेबिट नहीं किया गया है, तो उसे कार्ड में उपलब्ध शेष राशि से समायोजित कर लिया जाएगा। तथापि, कार्डधारक को शेष राशि का कोई प्रतिदान नहीं किया जाएगा।
3. यदि कार्डधारक न्यूनतम केवाईसी कार्ड के उपयोग को समाप्त करना चाहता है, तो उसे एक्सिस बैंक को कम से कम 7 दिन पूर्व लिखित सूचना देनी होगी तथा तत्काल कार्ड एवं किसी भी अतिरिक्त कार्ड (यदि आवश्यक न हो) को चुंबकीय पट्टी के माध्यम से कई टुकड़ों में काटकर एक्सिस बैंक को वापस करना होगा। इन नियमों एवं शर्तों की प्रयोज्यता समाप्त होने के बावजूद, कार्डधारक द्वारा कार्ड को नष्ट करने का दावा किए जाने के पश्चात मील कार्ड पर उत्पन्न सभी सुविधाओं एवं संबंधित शुल्कों के लिए कार्डधारक उत्तरदायी रहेगा। न्यूनतम केवाईसी कार्ड पर किए गए सभी शुल्कों के लिए कार्डधारक उत्तरदायी होगा, चाहे वे दुरुपयोग/कपटपूर्ण उपयोग के परिणामस्वरूप हों या नहीं, तथा चाहे बैंक को कार्ड के नष्ट किए जाने की सूचना दी गई हो या नहीं।
4. न्यूनतम केवाईसी कार्ड एक्सिस बैंक की संपत्ति है और अनुरोध किए जाने पर इसे एक्सिस बैंक के अधिकारी को तत्काल एवं बिना किसी शर्त के लौटाया जाना चाहिए। कार्ड सौंपने से पूर्व कृपया बैंक अधिकारी की पहचान का सत्यापन अवश्य करें।
5. निम्नलिखित में से किसी भी घटना के घटित होने पर एक्सिस बैंक न्यूनतम केवाईसी कार्ड सुविधा को तत्काल प्रभाव से समाप्त करने का अधिकार रखता है तथा कार्ड को वापस करना होगा:
   - यहाँ उल्लिखित नियमों एवं शर्तों का अनुपालन न करना।
   - एक्सिस बैंक के साथ किए गए किसी समझौते या दायित्व (संभावित या अन्य) के अंतर्गत चूक की घटना।
   - कार्डधारक के विरुद्ध दिवालियापन, अदेयता या इसी प्रकार की कार्यवाही प्रारंभ होना।
   - कार्डधारक का निधन।
   - कार्डधारक या नियोक्ता द्वारा मील कार्ड की समाप्ति।
6. यदि कार्डधारक कार्ड की विशेषताओं या लागू नियमों एवं शर्तों में प्रस्तावित किसी परिवर्तन को अस्वीकार करता है, तो ऐसे परिवर्तन प्रभावी होने की तिथि से पूर्व न्यूनतम केवाईसी कार्ड एक्सिस बैंक को वापस करना होगा।
7. जैसे ही बैंक को नियोक्ता से कर्मचारी के त्यागपत्र अथवा किसी अन्य कारण से सेवा समाप्ति की सूचना प्राप्त होती है, न्यूनतम केवाईसी कार्ड में आगे कोई जमा राशि स्वीकार नहीं की जाएगी। तथापि, कार्डधारक कुल शेष राशि समाप्त होने तक अथवा कार्ड की वैधता समाप्त होने तक कार्ड का उपयोग करने का अधिकारी रहेगा।

कानून का अनुपालन

एक्सिस बैंक द्वारा प्रदान किया जाने वाला न्यूनतम केवाईसी कार्ड उत्पाद नियामकीय और/या वैधानिक प्राधिकरणों, जिसमें भारतीय रिज़र्व बैंक भी सम्मिलित है, द्वारा समय-समय पर निर्धारित नियमों एवं शर्तों के अधीन होगा। न्यूनतम केवाईसी कार्ड से संबंधित प्रावधान नियामकीय आवश्यकताओं और/या एक्सिस बैंक की आंतरिक नीतियों के अनुसार परिवर्तित हो सकते हैं। यहाँ प्रदत्त न्यूनतम केवाईसी कार्ड सुविधा तथा ये नियम एवं शर्तें लागू कानूनों एवं विनियमों के अधीन हैं और प्रचलित कानून या विनियमों के अनुसार किसी भी समय संशोधित या बंद की जा सकती हैं। जब तक नियमों में प्रचलित या संशोधित कानून के अनुसार परिवर्तन नहीं किया जाता, तब तक बैंक पर उक्त कार्ड सुविधा के कार्यान्वयन को जारी रखने का कोई दायित्व या बाध्यता नहीं होगी। यदि किसी भी समय प्रचलित कानून के पूर्ण अनुपालन के बिना कार्ड सुविधा जारी रखना संभव नहीं होता है, तो जिस तिथि से संशोधित कानून उक्त व्यवस्था को प्रतिबंधित या निषिद्ध करता है, उसी तिथि से यह समझौता/नियम एवं शर्तें तत्काल प्रभाव से समाप्त मानी जाएँगी।

शासनाधीन कानून एवं अधिकार-क्षेत्र

ये नियम एवं शर्तें और/या लेनदेन भारतीय कानून द्वारा शासित होंगे तथा कार्ड के उपयोग से उत्पन्न किसी भी दावा या विषय के संबंध में मुंबई स्थित न्यायालयों को विशिष्ट अधिकार-क्षेत्र प्राप्त होगा।